भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 70

सोमवार, 20 जुलाई, 2026/ 29 आषाढ़, 1948 (शक)

कार्यस्थल पर दुर्घटनाओं के लिए श्रमिकों को मुआवजा और बचाव

70. श्री राजकुमार रोत:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में अपने काम करने के दौरान श्रमिकों की दुर्घटना जनित मृत्यु के दर्ज विवरण का वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) संबंधित नियोक्ताओं, बीमा योजनाओं और राज्य कल्याण बोर्डों द्वारा ऐसे मामलों में वितरित मुआवजे की वास्तविक धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान राजस्थान के उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों में दर्ज श्रमिकों की मृत्यु की कुल संख्या और नियमानुसार उनके आश्रितों को वितरित किए गए मुआवजे का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि नियोक्ताओं/ठेकेदारों द्वारा साक्ष्य नष्ट करने, पूरी न की गई मौखिक घोषणाएं करने या प्रशासनिक विलंब के कारण कई आश्रित मुआवजे से वंचित रह जाते हैं;

(ङ) यदि हां, तो प्राप्त ऐसी शिकायतों, दर्ज की गई प्राथमिकी (एफआईआर) की संख्या और उन पर की गई कार्रवाई का जिला और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार का समयबद्ध और अनिवार्य मुआवजा सुनिश्चित करने, साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने के लिए कड़े दंड का प्रावधान करने, उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में अनिवार्य पंजीकरण/बीमा लागू करने और त्वरित निपटान तंत्र स्थापित करने के लिए कोई नया कानून बनाने या मौजूदा कानूनों में संशोधन करने का विचार है और यदि हां, तो इसकी समय-सीमा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (च): केंद्र सरकार ने उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कार्यदशा (ओएसएचएंडडब्लूसी) संहिता, 2020 को अधिनियमित किया है, जो किसी स्थापन में नियोजित व्यक्तियों की उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाओं तथा उससे जुड़े या उसके आनुषंगिक मामलों को विनियमित करने के लिए 21.11.2025 से लागू हो गई है।

जारी/2–

श्रम और रोजगार मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय, महानिदेशालय उपजीविकाजन्य सुरक्षा और स्वास्थ्य (डीजीओएसएच), कारखाना अधिनियम, 1948 [जो अब ओएसएचएंडडब्लूसी संहिता 2020 के अंतर्गत समाविष्ट है] के अधीन पंजीकृत कारखानों के मामले में राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों के मुख्य कारखाना निरीक्षक (सीआईएफ)/औद्योगिक सुरक्षा और स्वास्थ्य महानिदेशालय (डीआईएसएच) से कामगारों की दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों और चोटों के आंकड़े एकत्र करता है। कैलेंडर वर्ष 2020 से 2024 के दौरान राजस्थान सहित राज्य-वार आकस्मिक मौतों का विवरण संलग्न है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने सामाजिक सुरक्षा संहिता (सीओएसएस) 2020 को भी अधिनियमित किया है जो 21.11.2025 से प्रभावी हो चुकी है। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के अनुसार, मुआवजे से जुड़े मामलों का निपटारा राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र स्तर पर किया जाता है।

*

अनुलग्नक

"कार्यस्थल पर दुर्घटनाओं से श्रमिकों को मुआवजा और संरक्षण" के संबंध में श्री राजकुमार रोत द्वारा दिनांक 20.07.2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 70 के भाग (क) से (च) के उत्तर में संदर्भित संलग्नक।

पंजीकृत कारखानों में घातक चोटों का राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र वार विवरण (2020 - 2024)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	2020	2021	2022	2023	2024
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2	आंध्र प्रदेश	66	65	76	71	59
3	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4	असम	10	4	8	9	8
5	बिहार	12	17	4	4	12
6	चंडीगढ़	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
7	छत्तीसगढ़	84	82	78	74	119
8	डीडी और डीएनएच	5	#	#	#	#
9	दिल्ली	9	6	36	6	21
10	गोवा	6	2	5	6	5
11	गुजरात	212	235	240	221	188
12	हरियाणा	35	14	22	19	37
13	हिमाचल प्रदेश	8	2	#	#	#
14	जम्मू और कश्मीर	2	2	3	3	#
15	झारखंड	16	26	23	26	21
16	कर्नाटक	45	46	43	53	60
17	केरल	14	12	9	22	20
18	लक्षद्वीप	*	*	*	*	*
19	मध्य प्रदेश	26	30	36	33	35
20	महाराष्ट्र	154	180	178	190	157
21	मणिपुर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
22	मेघालय	1	1	3	2	शून्य
23	मिजोरम	शून्य	शून्य	#	शून्य	#
24	नागालैंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
25	ओडिशा	47	36	54	54	47
26	पुडुचेरी	1	4	5	4	3
27	पंजाब	28	#	9	37	#
28	राजस्थान	23	19	32	25	46
29	सिक्किम	*	*	*	*	*
30	तमिलनाडु	114	147	117	184	153
31	तेलंगाना	51	50	60	65	71

32	त्रिपुरा	#	2	2	1	1
33	उत्तरप्रदेश	66	#	#	#	#
34	उत्तराखंड	15	6	19	18	9
35	पश्चिम बंगाल	#	#	#	#	59
कुल		**1050**	**988**	**1062**	**1127**	**1131**

डेटा स्रोत: महानिदेशालय उपजीविकाजन्य सुरक्षा और स्वास्थ्य (डी.जी.ओ.एस.एच.) द्वारा राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों के मुख्य कारखाना निरीक्षक (सीआईएफ) / औद्योगिक सुरक्षा और स्वास्थ्य निदेशक (डीआईएसएच) से एकत्र किए गए आंकड़े।

विशेष टिप्पणी: (i) *: इन राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों में कोई पंजीकृत कारखाने नहीं हैं।

(ii) #: मुख्य कारखाना निरीक्षक (सीआईएफ)/औद्योगिक सुरक्षा और स्वास्थ्य निदेशक (डीआईएसएच) द्वारा आंकड़ों की सूचना नहीं दी गई है।
